न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या	रजिस्टर्ड नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
16/180/2025	2025/246	09.07.2025	01.01.2026

1. सरकार जरिये तहसीलदार (भू0अ0) थानागाजी, जिला अलवर राज०।

—प्रार्थी

बनाम

1. कमली पत्नी लीलाराम,
2. कृष्णा, बिल्लू, सीमा पुत्रीयां मुंसी,
3. ख्याली, जगदीश, झब्बूराम, देवकरण पुत्रान लीलाराम,
4. मनोज, मीरा, सन्ती पुत्रियां लीलाराम,
5. तोफली, मूली पुत्रियां हरबला,
6. हेमेन्द, प्रेमचन्द, घनश्याम पुत्रान मुंसी,

समस्त जातियान गुर्जर नि0 दुहारमाला, तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0।

—अप्रार्थीगण

अपील प्रार्थना पत्र जेर नियम 14 (4)
भू—आवंटन नियम, 1970

उपस्थितः—
01—श्री दीपक मीणा, राजकीय अभिभाषक —वकील प्रार्थी

—निर्णय—

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी (सरकार जरिये तहसीलदार, थानागाजी) द्वारा विद्वान राजकीय अभिभाषक के माध्यम से 'राजस्थान भू—राजस्व (कृषि उद्देश्यों के लिए भूमि आवंटन) नियम, 1970' के नियम 14(4) के तहत प्रस्तुत किया गया है। जिसके द्वारा अप्रार्थी/आवंटी के पक्ष में ग्राम दुहारमाला, तहसील थानागाजी जिला अलवर की आराजी हाल खसरा न0 752/807 रकबा 1.01 है0 किस्म बारानी तृतीय भूमि का आंवटन किया गया। प्रार्थना पत्र 14 (4) दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये कोर्ट नोटिस तलब किया गया।

प्रार्थी की ओर से विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में प्रार्थना—पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि आराजी हाल खसरा न0 752/807 रकबा 1.01 है0 किस्म बारानी तृतीय भूमि वाके ग्राम दुहारमाला, तहसील थानागाजी जिला अलवर सन् 1970 के बाद अप्रार्थी को वास्ते कृषि कार्य के लिए आवंटन किया गया था। अप्रार्थी द्वारा उपरोक्त भूमि आवंटन होने के बाद आवंटन की शर्तों के मुताबिक अप्रार्थी द्वारा उसकी पालना नहीं की गई है ना ही आवंटी का आवंटन के समय कब्जा रहा है। जिस बाबत पटवारी हल्का दुहारचौगान की रिपोर्ट दिनांक 03.05.2025 से स्पष्ट रूप से जाहिर व साबित है कि मौके पर अप्रार्थी का कोई कब्जा काश्त नहीं है तथा ना ही मौके पर फसल पाई गई। अप्रार्थी द्वारा उक्त भूमि को आवंटन होने के बाद काम मे नहीं लिया गया है। जिससे अप्रार्थी द्वारा राज0 कृषि भूमि आवंटन नियम 1970, नियम 14 (4) के तहत निरस्त किया जाना अति आवश्यक है। पटवारी हल्का रिपोर्ट प्रार्थना पत्र के साथ सलग्न है।

प्रार्थना पत्र न्यायलय श्रीमान के सुनने योग्य है। अतः श्रीमान की सेवा में यह प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है की आवंटन सन् 1970 के बाद जो आवंटन अप्रार्थी को आराजी हाल खसरा न0 752/807 रकबा 1.01 है0 किस्म बारानी तृतीय भूमि वाके ग्राम दुहारमाला, का किया गया था, उसे निरस्त फरमाया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी की ओर से राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी। विद्वान राजकीय अभिभाषक ने तर्क प्रस्तुत किया कि उक्त भूमि का आवंटन वर्ष 1970 के पश्चात कृषि कार्य हेतु किया गया था। मौके पर अप्रार्थीगण का कोई कब्जा या काश्त (खेती) नहीं पाई गई है। भूमि पड़त पड़ी है। इसके अतिरिक्त, यह भूमि वन विभाग के 'क्रिटिकल टाइगर हैबिटाट' (CTH) क्षेत्र में आती है और जमाबंदी संवत 2035 में यह भूमि 'गैर मुमकिन नाला' के

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

रूप में दर्ज थी, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अब्दुल रहमान बनाम राजस्थान राज्य के निर्णय से प्रभावित है।

पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों, पटवारी हल्का की रिपोर्ट और राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पटवारी की रिपोर्ट (दिनांक 03.05.2025) पुष्टि करती है कि मौके पर आवंटी का कोई कब्जा नहीं है और न ही कोई फसल बोई गई है। नियम 1970 के तहत भूमि जिस उद्देश्य (कृषि) के लिए दी गई थी, उसका उपयोग न करना आवंटन शर्तों का उल्लंघन है, जो नियम 14(4) के तहत निरस्तीकरण का आधार है। राजस्व रिकॉर्ड (संवत 2035) के अनुसार विवादित भूमि की किस्म 'गैर मुमकिन नाला' दर्ज है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अब्दुल रहमान बनाम राज्य की रिट याचिका में स्पष्ट आदेश दिए हैं कि नदी, नाला, तालाब, जोहड़ आदि भूमि का आवंटन नहीं किया जा सकता और यदि किया गया है तो वह शून्य माना जाएगा। प्राकृतिक जल बहाव क्षेत्रों को निजी स्वामित्व में नहीं दिया जा सकता।

रिपोर्ट पटवारी हल्का दुहारचौगान के अनुसार भूमि वन विभाग की सीमा के भीतर एवं 'क्रिटिकल टाइगर हैबिटाट' क्षेत्र में आती है। वन संरक्षण अधिनियम और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत ऐसे संवेदनशील क्षेत्रों में राजस्व भूमि का निजी आवंटन विधि सम्मत नहीं है। पटवारी रिपोर्ट में यह भी आया है कि आवंटी का परिवार ग्राम इंदोक (राडी), तहसील मालाखेड़ा में निवास करता है, जो यह दर्शाता है कि स्थानीय काश्तकार होने की शर्त या मौके पर रहने की स्थिति भी संदिग्ध है। अतः, उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी (तहसीलदार) का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

अतः प्रार्थी, तहसीलदार थानागाजी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि उद्देश्यों के लिए भूमि आवंटन) नियम, 1970 स्वीकार किया जाता है और ग्राम दुहारमाला, तहसील थानागाजी, जिला अलवर की आराजी खसरा नं. 752/807, रकबा 1.01 हेक्टेयर, किस्म बारानी तृतीय का आवंटन जो अप्रार्थीगण (कमली वगैरह) के पक्ष में किया गया था, उसे निरस्त किया जाता है। उक्त भूमि को अप्रार्थीगण के नाम से खारिज कर पुनः सिवायचक (राजकीय) भूमि के रूप में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जावे। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील जमा लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 01.01.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश कुमार कायथवाल)
अति0 जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर; (राज0)